उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिवीजन वाद संख्या – 70/2023

प्रदीप भारद्वाज बनाम् झारखण्ड राज्य वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
09/01/24	यह वाद अपीलार्थी प्रदीप भारद्वाज, पिता–स्व० शरण बेलथरिया, ग्राम–राँची रोड, मरार, थाना–रामगढ़, जिला–रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ का न्यायालय में दायर दाखिल खारिज अपील (ऑनलाईन) वाद संख्या–76/2022–23 प्रदीप भारद्वाज बनाम् अंचल अधिकारी, पतरातू में दिनांक–20.04.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 16 of Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act-1973 के तहत् प्रारम्भ किया गया। वाद को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख की माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–लपंगा थाना सं०–56 थाना–पतरातू के खाता नं०–34 प्लॉट नं०–854, रकवा–0.0150 ए० प्लॉट नं०–857, रकवा–0.02 ए० प्लॉट नं०–860, रकवा–0.07583 ए० कुल रकवा–$0.11^{1}/_{12}$ ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं, सरकारी अधिवक्ता को सुना, समर्पित आवेदन/कारण पृच्छा, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, कारण पृच्छा एवं कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–लपंगा थाना सं०–56 थाना–पतरातू के खाता नं०–34 प्लॉट नं०–854, रकवा–0.0150 ए० प्लॉट नं०–857, रकवा–0.02 ए० प्लॉट नं०–860, रकवा–0.07583 ए० कुल रकवा–$0.11^{1}/_{12}$ ए० भूमि रैयती खाते की है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उक्त भूमि उन्हें केवाला संख्या–6258, दिनांक–30.12.2010 के द्वारा खतियानी रैयत लालसाय जोल्हा के वैध उत्तराधिकारी मोहम्मद आसीन पुत्र स्व० इसमाईल वो मोहम्मद करीम पुत्र स्व० फजल मियां वो मोहम्मद मुस्ताक पुत्र स्व० मोहम्मद मियां वो मोहम्मद सहबान पुत्र श्री रोजन मियां वो सोबराती अंसारी पुत्र स्व० जमासुदरी मियां वो जसीरन निशा पुत्री स्व० कुरबान मियां से क्रय की गई है। उन्होनें आगे कहा है कि भूमि पर क्रय के समय से ही दखलकार है। बिक्रेता को उक्त भूमि आपसी घरेलु बँटवारा से प्राप्त है। उन्होने आगे कहा है कि राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया	

है कि, "प्रस्तावित भूमि रैयती खाते की भूमि है। उक्त खाते की भूमि CNT ACT 46 (1)b के जाति सूचि से बाहर है। पंजी–II पेज नं०–92/I पर बिक्रेता के दादा बालक मियां के नाम से जमाबंदी कायम है। क्रेता को केवाला द्वारा उक्त भूमि खरीदगी से प्राप्त है तथा दखल कब्जा है। अतः क्रेता के नाम से दाखिल खारिज की स्वीकृति दी जा सकती है।" फिर भी अंचल अधिकारी, पतरातू के द्वारा बिना आपत्ति के दाखिल खारिज अस्वीकृत कर दिया गया, जो नियमसंगत नहीं है। अंचल अधिकारी, पतरातू के पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–76/2022–23 दायर किया गया है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा बिना किसी fact के दाखिल खारिज अपील अस्वीकृत कर दिया। जो नियमसंगत नहीं है। जबकि Mutation Manual के अनुसार बिक्रेता का जमाबंदी कायम है एवं क्रेता का भूमि पर दखल कब्जा है। उन्होनें रिवीजन आवेदन स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि अंचल अधिकारी, पतरातू एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ ने भूमि के बँटवारा से संबंधित वैध कागजात उपलब्ध नहीं कराने के कारण आवेदन अस्वीकृत किया गया है, जो नियमसंगत है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य के आलोक में स्पष्ट है कि मौजा–लपंगा थाना सं०–56 थाना–पतरातू के खाता नं०–34 प्लॉट नं०–854, रकवा–0.0150 ए० प्लॉट नं०–857, रकवा–0.02 ए० प्लॉट नं०–860, रकवा–0.07583 ए० कुल रकवा–$0.11^{1}/_{12}$ ए० भूमि रैयती खाते की भूमि है। रिवीजनकर्ता का कहना है कि उक्त भूमि बिक्रेता को आपसी बँटवारा से प्राप्त है। उनका यह भी कहना है कि उक्त भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है और बिक्रेता ने अपने हिस्से की भूमि बिक्री की है। लेकिन रिवीजनकर्ता के द्वारा बँटवारा या सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत वंशावली समर्पित नहीं कि गई है। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि बिक्रेता ने अपने हिस्से की भूमि ही बिक्री की है। लेकिन अभिलेख में संलग्न अंचल अधिकारी, पतरातू के नामांतरण वाद संख्या–68 R27/2022-23 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व कर्मचारी द्वारा जाँच के उपरांत पाया कि भूमि पर क्रेता का दखल कब्जा है एवं पंजी–II पेज नं०–92/I पर बिक्रेता के दादा बालक मियां के नाम से जमाबंदी कायम है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा दाखिल खारिज अपील (ऑनलाईन) वाद संख्या–76/2022–23 प्रदीप भारद्वाज बनाम् अंचल अधिकारी, पतरातू में दिनांक–20.04.2023 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए वाद को Remand किया जाता है एवं निम्न न्यायालय को निदेश दिया जाता है कि उक्त वाद में रिवीज़नकर्ता को नोटिस निर्गत करते हुए पुनः सुनवाई करें तथा दखल कब्जा, इस संबंध में

किसी की आपत्ति इत्यादि की जाँच करते हुए आध्यापक आदेश पारित करे। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 09/01/24
उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandan 09/01/24
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2024.02.03 16:10:34 +05:30
Location: 192.168.0.32